न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री लाखाराम {आर.ए.एस.}

राजस्व वाद संख्या : 15/2020

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. अजीत सिंह पुत्र तारा सिंह जटसिख निवासी 7 एफ एफ तहसील श्री करणपुर। 2. महेन्द्र सिंह पुत्र तारा सिंह जटसिख निवासी 7 एफ एफ तहसील श्री करणपुर। 3. कमलजीत सिंह पुत्र तारा सिंह जटसिख निवासी 7 एफ एफ तहसील श्री करणपुर।		1. नक्षत्र सिंह पुत्र हरनेक सिंह जटसिख निवासी 7 एफ एफ तहसील श्री करणपुर। 2. कौर सिंह पुत्र हरनेक सिंह जटसिख निवासी 7 एफ एफ तहसील श्री करणपुर। 3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजूः-04.11.2020

उपस्थितः 1.श्री रमेश चन्द्र गुप्ता अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री हरनेक सिंह अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2

--निर्णय-- दिनांक : 12/01/2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी जरिए अधिवक्ता श्री रमेश चन्द्र गुप्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 7 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 23/25 के मु.न. 11, 22 व इसी चक के खाता संख्या 64/02 के मुरब्बा नम्बर 4, 11, 21 तथा इसी चक के खाता संख्या 10/5 के मुरब्बा नम्बर 4, 18 व इसी चक के खाता संख्या 42/30 के मुरब्बा नम्बर 11, 18 की कुल 7.936 हैक्टर नहरी भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। चक 7 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 21/14 के मुरब्बा नम्बर 2, 5, 11, 48 की कुल 10.653 हैक्टर नहरी भूमि अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि मुरब्बा नम्बर 4, 11, 18, 21, 28 में है। प्रार्थीगण अपने मुरब्बा नम्बर 11, 18, 21, 28 में आने जाने के लिए मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 1 ता 9,10,13/2, व 16 व 25 में है। इस प्रकार मुरब्बा नम्बर 11 में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की भूमि है। प्रार्थीगण अपनी भूमि मुरब्बा नम्बर 18 व 21 में आने जाने के लिए मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 16 व 25 में चल रहे 1-1/2-1-1/2 बिस्वा रास्ता गत 40 वर्षो से 12-12 फुट चौडा रास्ता जो मौका पर [illegible] व उपभोग कर अपनी भूमि को काश्त करता चला आ रहा है। इस [illegible] प्रार्थीगण को अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण ने आज से 10 रोज पूर्व उक्त किला [illegible] 16 व 25 पूर्वी दिशा में चल रहे 1-1/2-1/1-1/2 बिस्वा रास्ता [illegible] रिकॉर्ड में रास्ता मंजून व अमलदरामद करवाने के लिए अप्रार्थीगण से निवेदन किया [illegible] अप्रार्थीगण साफ इन्कार हो गये यही बिनाये दावा है। प्रार्थीगण चक 7 एफ एफ के मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 16 व 25 के पूर्वी दिशा में चल रहे 1-1/2-1/1-1/2 बिस्वा यानि 12-12 फुट चौडा रास्ता को मंजूर करवाने के बदले में इसी मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 13/2 में से 3 बिस्वा भूमि रास्ता की भूमि के बदले में अप्रार्थीगण को देने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2021.02.23 12:27:24 IST
Reason: SelfAttested

लिए सहमत है। या अप्रार्थीगण चाहे तो 3 बिस्वा भूमि की डी.एल.सी. दर से किमत प्राप्त कर सकते है। उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए पेश कर अर्ज है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 7 एफ तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 16 व 25 की पूर्वी दिशा में चल रहे 1-1/2-1-1/2 बिस्वा यानि 12-12 फुट चौडा रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश देने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री हरनेक सिंह उपस्थित आए। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा न्यायालय में उपस्थित आकर राजीनामा पेश किया। जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। राजीनामा में निवेदन किया कि चक 7 एफ तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 16 व 25 की पूर्वी दिशा में चल रहे उतर से दक्षिण के 1-1/2 - 1-1/2 बिस्वा यानि 12-12 फुट चौडा रास्ता स्वीकृत घोषित किया जावे। तथा इस रास्ता की भूमि के बदले में अप्रार्थीगण के नाम से प्रार्थीगण की भूमि चक 7 एफ एफ के खाता संख्या 23/25 के मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 13/2 में से 3 बिस्वा भूमि का अप्रार्थीगण को बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया जावे। तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किये जाने का आदेश देने की कृपा करे। रिपोर्ट तहसीलदार श्री करणपुर के क्रमांक 846 दिनांक 02.12.2020 के द्वारा प्राप्त हुई। जिसके अनुसार मौका पर उक्त मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 16 व 25 में जो रास्ता चाहा गया है, मौका पर रास्ता चालू है। वादी, प्रतिवादी सहमत है। मौका पर राजस्व रिकॉर्ड में मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 1 ता 5 में स्वीकृत रास्ता है। वादी को अपने रकबा में जाने हेतु ओर कोई नजदीक रास्ता नहीं है। वादी द्वारा चाहा गया मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 16 व 25 में 1-1/2 - 1-1/2 बिस्वा यानि कुल 0.038 हैक्टर रकबा रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित है।

दोनो पक्षो को सुना गया। दोनो पक्षों के द्वारा निवेदन किया कि राजीनामा के आधार पर चक 7 एफ तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 16 व 25 की पूर्वी दिशा में चल रहे उतर से दक्षिण के 1-1/2 - 1-1/2 बिस्वा यानि 12-12 फुट चौडा रास्ता स्वीकृत किया जावे। तो हमें कोई एतराज नहीं है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात तथा राजीनामा का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। प्रार्थीगण के द्वारा अपनी खातेदारी भूमि चक 7 एफ एफ के मुरब्बा नम्बर 4,11,18,21 व 28 में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण के मु.न. 11 के किला नम्बर 16 व 25 की पूर्वी दिशा में चल रहे उतर से दक्षिण दिशा में 1-1/2 - 1-1/2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किए जाने बाबत निवेदन किया है। अप्रार्थीगण भी प्रार्थीगण को रास्ता देने हेतु सहमत है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

उपर्युक्त तथ्यो के विवेचन, प्रस्तुत राजीनामा एवं तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 7 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के मु.न. 11 के किला नं. 16 व 25 के पूर्वी दिशा में उतर से दक्षिण प्रत्येक में 1-1/2 - 1-1/2 बिस्वा कुल 3 बिस्वा रकबा गैरमुमकिन सरकारी रास्ता स्वीकृत किए जाने के आदेश दिए जाते है। राजीनामा अनुसार इस रास्ता की 3 बिस्वा भूमि के बदले अप्रार्थीगण को 3 बिस्वा भूमि देय होगी जो प्रार्थीगण अपनी भूमि मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 13/2 में से देगा। आदेश इस आश्य का

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2021.02.23 12:27:24 IST
Reason: SelfAttested

12/01/21

अजीत सिंह आदि बनाम नक्षत्र सिंह आदि

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251ए आरटीए, प्रकरण संख्या 15/2020

तहसीलदार श्रीकरणपुर के नाम जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

12/01/21

{लाखाराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 12/01/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

12/01/21

{लाखाराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2021.02.23 12:27:24 IST
Reason: SelfAttested